भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. : 2313
उत्तर दिए जाने की तारीख : 08.07.2019

फर्जी विश्वविद्यालय

2313. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में कुछ फर्जी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के साथ धोखा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित उक्त मामलों की संख्या कितनी है तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त फर्जी विश्वविद्यालयों के प्रति लोगों को सचेत करने संबंधी नोटिसों सहित क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): जी, हां| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों, अभिभावकों, आम जनता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर 23 फर्ज़ी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है, जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) और धारा 3 के तहत बिना मान्यता के डिग्री कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं| इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान (आईआईपीएम), नई दिल्ली की गैर-मान्यता की स्थिति और जैव-रासायनिक शिक्षा अनुदान आयोग, नाडिया, पश्चिम बंगाल के गैर-कानूनी दर्ज़े के विरुद्ध सार्वजनिक नोटिस जारी किया है| यूजीसी द्वारा भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ, यूपी भी यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत मान्यताप्राप्त नहीं है| इन फर्ज़ी विश्वविद्यालयों की सूची इसकी वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है|

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, निम्नलिखित संस्थाओं को फर्ज़ी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है:

i. नार्थ ओड़िशा यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नॉलोजी, यूनिवर्सिटी रोड बारीपाडा, जिला मयूरभंज. ओड़िशा-757003 **(2016-17)**

ii. विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, इंडिया, रोज़गार सेवासदन, 672, संजय एन्क्लेव, अपोजिट जीटीके डिपो, नई दिल्ली-110033 **(2016-17)**

iii. श्री बोधि अकैडमी ऑफ़ हायर एजुकेशन, नं. 186, थिलास्पेट, वाज्हुथावूर रोड़ पांडिचेरी-605009 **(2017-18)**

iv. आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी), 351-352, फेज-I, ब्लाक-ए, विजय विहार, रिठाला, रोहिणी दिल्ली (2018-19)

(ग): यूजीसी द्वारा फर्ज़ी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध लोगों को चेतावनी देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

I. फर्ज़ी विश्वविद्यालयों के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में सार्वजानिक नोटिस प्रकाशित किया गया|

II. फर्ज़ी विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट पर अद्यतन करना|

III. राज्य मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों और प्रधान सचिवों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित फर्ज़ी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु पत्र भेजे गए|

IV. जैव-रासायनिक शिक्षा अनुदान आयोग, नाडिया, पश्चिम बंगाल और आईआईपीएम, नई दिल्ली की गैर-कानूनी स्थिति पर सार्वजानिक नोटिस किया गया|

V. पुलिस थाने में जैव-रासायनिक शिक्षा अनुदान आयोग के विरुद्ध एफआईआर दर्ज़ की गई|

*****